केन्द्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए जागरूकता सृजन एवं प्रचार और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश

19 जनवरी, 2024 से लागू

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
(दिव्यांगजन)
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली- 110003

केन्द्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए जागरूकता सृजन एवं प्रचार और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश

इस योजना के दो घटक हैं:

I. **जागरूकता सृजन और प्रचार**
II. **केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।**

I. जागरूकता सृजन और प्रचार

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों में विश्वास निर्माण करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए समान अवसर, निष्पक्षता (ईक्विटी) और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सूचना का प्रसार-प्रचार और सभी स्टेकहोल्डरों को सुग्राही बनाने के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सक्षम वातावरण का सृजन करना है ताकि वे सार्थक योगदान दे सके और देश के विकास में समान भागीदार बन सकें। तदनुसार, इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

क. संविधान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और नियमों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अधीनस्थ विधानों में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों के बारे में दिव्यांगजनों और सिविल समुदाय समेत सभी स्टेकहोल्डरों को व्यापक प्रचार प्रदान करना ।
ख. समान अवसर, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना और दिव्यांगजनों में विश्वास निर्माण सुनिश्चित करना ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें।
ग. दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अन्य मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना।
घ. दिव्यांगताओं के विभिन्न प्रकारों के होने के कारणों और प्रारंभिक पहचान आदि के माध्यम से उनके रोकथाम पर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता बढ़ाना और समुदाय को संवेदनशील बनाना तथा ऐसे दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सामग्री का विकास करना, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना आदि।
ङ. दिव्यांगजनों के प्रयोग के लिए विकसित विभिन्न सहायक उपकरणों का व्यापक प्रचार करना।
च. विशेष रूप से दिव्यांगजनों की विशेष जरूरतों पर नियोक्ताओं और अन्य समान समूहों को संवेदनशील बनाना।
छ. दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना जैसे जॉब फेयर्स, मेलों/प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना ताकि दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का

प्रदर्शन और बिक्री, अभियान, कौशल विकास और रोजगार सृजन आदि के बारे में जागरूक किया जा सके।

ज. कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में अपनी आंतरिक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना।

झ. दिव्यांगता से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ञ. विभिन्न दिव्यांगताओं आदि से संबंधित विशेष कार्यक्रमों और विशेष दिनों के उत्सव का आयोजन करना और दिव्यांगता सेक्टर के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित प्रासंगिक गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

ट. विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के पुनर्वास के लिए सामग्री विकसित करना।

ठ. हेल्पलाइनों/हेल्प डेस्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ड. प्रभावी शिकायत निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ढ. सोशल मीडिया, यू–ट्यूब सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग, फिल्मों, रेडियो जिंगल के जरिए से तथा पोस्टरों/बैनरों/सेल्फी प्वाइंट्स आदि आउटडोर अभियान के माध्यम से सूचना का प्रसार।

ण. विभाग के अधीन कार्यरत संगठनों का दौरा करने के लिए प्रेस/मीडिया दौरे के साथ–साथ विभाग द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आयोजनों/कार्यक्रमों का दौरा करना।

त. दिव्यांगजनों के लिए एडवोकेसी समूहों, दिव्यांग प्रभावकों आदि द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों/टेलीविजन कार्यक्रमों/समाचार चैनलों/यूट्यूब चैनलों में कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

थ. सुगम्यता के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करना।

द. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति करना।

ध. विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिव्यांगता सेक्टर के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित अन्य प्रासंगिक गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

2 इस योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक

योजना के उद्देश्य के तहत उल्लिखित सभी गतिविधियां इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। विभाग इन गतिविधियों का संचालन या तो स्वयं या इसके साथ सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से या इसके अधीन काम करने वाले संगठनों के माध्यम से कर सकता है या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लोगो के तहत ऐसी गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न सरकारी/निजी संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर सकता है या स्वप्रेरणा से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर सकता है। घटकों को आगे निम्नानुसार विस्तृत किया गया हैः –

I. हेल्पलाइन/हेल्प डेस्क

दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा उनके लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। हेल्पलाइन दिव्यांगजनों को शिकायतें दर्ज करके और/या अपनी शिकायत पंजीकृत करके शिकायतों के निवारण में भी सहायता करेगी। हेल्पलाइन का रखरखाव और

संचालन या तो स्वयं विभाग द्वारा या इस क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है। चूंकि हेल्पलाइन या सोशल मीडिया अभियान चलाने के लिए आवर्ती लागत की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इस योजना के तहत निधि जारी करने के लिए गैर–आवर्ती और आवर्ती लागत दोनों स्वीकार्य होंगी। यदि आवश्यक हो, तो सूचना के प्रसार, शिकायत सुविधा, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुविधा आदि के लिए दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु इसी तर्ज पर हेल्प डेस्क केंद्र भी स्थापित किए जा सकते हैं।

II. सामग्री विकास, प्रकाशन और न्यू मीडिया

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों, सिविल सोसाइटी और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रासंगिक समझे गए प्रकाशन, पैम्पलेट, हैंड आउट, बैनर, होर्डिंग आदि तैयार करेगा। मुद्रित सामग्री में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न पहलों और योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े/सूचना; कारणों, रोकथाम, निदान पर सामग्री; उपचार और पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता; प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता, लागत प्रभावी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और टिकाऊ सहायक उपकरण आदि विकसित करने के लिए अनुकूली अनुसंधान पर सामग्री शामिल हो सकती है। सामग्री के विकास में डिजीटल सामग्री जैसे दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वीडियो फिल्में, रेडियो जिंगल की तैयारी और प्रसारण, सफलता की कहानियां आदि भी शामिल होंगी।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल, ऑडियो / वीडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि प्रारूपों सहित प्रचार के सभी उपलब्ध मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाएगा।

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता पर भी निम्नलिखित के लिए विचार किया जाएगाः
–

क. दिव्यांगता पर सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित सामग्री / पुस्तक के लिए वार्षिक पुरस्कार।

ख. विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक आवधिक पत्रिका जैसे द्वैमासिक (दो महीने में एक बार) जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों द्वारा उनकी सफलता की कहानियों, साहित्यिक सामग्री, दिव्यांगजनों से संबंधित वर्तमान गतिविधियों आदि के बारे में योगदान प्रकाशित किया जा सकता है।

ग. दिव्यांगता विशेषताओं जैसे दिव्यांगता से जुड़ी प्राधान्य स्वास्थ्य स्थितियों, पुनर्वास सहित सेवाओं के उपयोग और आवश्यकता के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए समर्पित दिव्यांगता सर्वेक्षण आवश्यक होगा।

घ. दिव्यांगता सेक्टर के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह संकलित करने के लिए अध्ययन समूह का गठन।

III. आयोजन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वयं या इसके अधीन कार्यरत संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भाग ले सकता है या गैर–सरकारी संगठनों या स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है या ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है जो उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा सकते हैं।

क. राष्ट्रीय स्तर पर विभाग द्वारा स्वयं के माध्यम से या विभाग और अन्य केंद्र/राज्य सरकार के अधीन संगठन के माध्यम से / सरकारी संगठन/संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम :

विभिन्न दिव्यांगताओं आदि से संबंधित विशेष कार्यक्रमों और विशेष दिनों के उत्सव का आयोजन करना और दिव्यांगता सेक्टर के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित प्रासंगिक गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। कार्यक्रमों में प्रतियोगिताओं का आयोजन और पुरस्कार देना सार्वजनिकों के देखने के लिए मंच प्रदर्शन; दिव्यांगजनों द्वारा चित्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन करना और दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री, फिल्म समारोह आदि आयोजित करना शामिल हो सकता है। कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में अपनी आंतरिक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना। केंद्र/राज्य सरकार दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके कौशल विकास और रोजगार सृजन हेतु जागरूकता सृजन और अभियान के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकती है जैसे जॉब फेयर्स, कौशल अभिविन्यास, नौकरी परामर्श आदि। केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों के हित में सुगम्यता या कोई अन्य आयोजन या अभियान हेतु कदम उठा सकते हैं। माता–पिता, केयरगिवर, दिव्यांगजनों, अन्य स्टेकहोल्डरों और पूरे समाज आदि को संवेदनशील बनाने के लिए विभाग के तहत संगठन द्वारा विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

दिव्यांग छात्रों की जरूरतों के बारे में शिक्षकों और छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के साथ सहयोग। दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के प्रति राज्य कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य लोक प्रशासन संस्थानों के साथ सहयोग। स्थानीय स्तर पर विशिष्ट दिव्यांगताओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम जिसमें बीडीओ और सरपंचों जैसे सम्मान और विश्वसनीयता के पदधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय मेडिकल प्रैक्टिशनरों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह लोगों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में शिक्षित करेगा और प्रारंभिक पहचान में मदद

करेगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों और भारतीय पुनर्वास परिषद से विभिन्न दिव्यांगताओं पर मुद्रित सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है।

ख. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम:

सीआरपीडी की प्रस्तावना में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दिव्यांगता एक उभरती हुई अवधारणा है परंतु इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दिव्यांगता बाधित व्यक्तियों तथा व्यवहार संबंधी और पर्यावरणीय बाधाओं के बीच परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है। दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों का नकारात्मक उपचार हो सकता है; दिव्यांग बच्चों और वयस्कों पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कम आत्मसम्मान और कम भागीदारी जैसे नकारात्मक परिणाम होते हैं। वे लोग जो अपनी दिव्यांगता के कारण परेशानी महसूस करते हैं, वे कभी–कभी दूसरे स्थानों पर जाने, अपनी दिनचर्या बदलने या यहां तक कि अपने घरों से बाहर जाने से बचते हैं।

कलंक का विरोध करने के लिए रणनीतियां बनाने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, महोत्सवों, अन्य गतिविधियों के आयोजन बहुत सफल हो सकते हैं और इस योजना के तहत ऐसी गतिविधियों को समर्थन दिया जाएगा।

ग. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम:

इस योजना के तहत दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए माता–पिता और समुदाय की भागीदारी के लिए स्वयं सहायता और एडवोकेसी समूहों के लिए पारस्परिक संचार, नुक्कड़ नाटकों, रोड शो आदि से जागरूकता सृजन के लिए अनुदान पर विचार किया जा सकता है। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से दिव्यांगता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण दिवसों पर सहायक कार्यक्रमों का आयोजन करके दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जॉब फेयर्स, सीएसआर वित्तपोषण, नौकरी परामर्श आदि जैसे कार्यकलापों में शामिल संगठनों को जागरूकता सृजन के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

गैर–सरकारी संगठनों को वैकल्पिक वर्षों में इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए अनुदान जारी किया जाएगा। गैर–सरकारी संगठनों को यह वचन देकर सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम में प्रतिभागियों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

IV. वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को सुग्राही बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा/प्रसार-प्रचार (आउटरीच) कार्यक्रम।

अब तक, केंद्र ध्यान दिव्यांगजनों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र गतिविधियों पर रहा है। निजी क्षेत्र विशेष रूप से दुकानों और छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ऐसे व्यक्तियों को कर्मचारियों के रूप में रखने की व्यापक सामर्थ्य है। स्वयंसेवकों या नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से छोटे प्रतिष्ठानों को जागरूक करके 'प्रत्येक के लिए एक' के विचार को लागू किया जा सकता है। स्वयंसेवकों के माध्यम से क्षेत्रवार/मार्केटवार प्रचार अभियान शुरू किया जा सकता है।

V. सामुदायिक रेडियो/टीवी चैनलों में भागीदारी:

गैर–सरकारी संगठन, वकालत समूह, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, टीवी चैनलों, समाचार चैनलों, यूट्यूब चैनलों के मालिक (यूट्यूबर) और/या संचालित करने वाले दिव्यांग इनफ्लुंएसर, जिनकी दिव्यांग समुदाय के बीच पर्याप्त पहुंच है और जो दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सुगम्य सामग्री के उत्पादन में शामिल हैं और उनके बीच जागरूकता पैदा करते हैं, योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

VI. प्रेस/मीडिया टूर और अन्य मीडिया विशिष्ट गतिविधियां

मीडियाकर्मियों/पत्रकारों द्वारा विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों, विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसी का दौरा करने से मीडिया को गतिविधियों/पहलों/अनुसंधानों आदि के बारे में अत्यधिक जानकारी मिलेगी जो देश भर में दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के क्षेत्र में इन संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रमों/आयोजनों के परिणामों को उजागर करने और जनता, विशेष रूप से दिव्यांगजनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभाग द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए मीडिया टूर भी आयोजित किए जा सकते हैं। इससे मीडिया को अधिक समग्र तरीके से दिव्यांगजनों के हितों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकेगा। यह घटक मीडिया कार्यशाला और अन्य विशिष्ट मीडिया गतिविधियों को भी कवर करेगा।

VII. ब्रांड एंबेसडर

विभाग विभिन्न योजनाओं के तहत गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय निहितार्थों को एजीपी योजना के तहत पूरा किया जाएगा।

3 (क) अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत संस्थान और संगठन एवं अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों, स्कूलों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत; समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन और स्वैच्छिक संगठन आदि।

3.1 सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के लिए पात्रता मानदंड

i. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन संगठनों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 या चैरिटेबल एवं रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, 1920 के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत या केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम के अधीन पंजीकृत निगम आदि सहित 4(क) के अंतर्गत पंजीकृत संगठन के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष से अस्तित्व में हो।

ii. संगठन को गैर-लाभकारी (नॉन-प्रोफिट) तथा 'लाभ के लिए नहीं' संगठन होना चाहिए या वह अपने लाभों का, यदि कोई हो तो, या अन्य आय का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने में करता हो।

iii. दिव्यांगता सेक्टर के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों को दिव्यांगजन अधिनियम (सरकारी संगठन को छोड़कर) के तहत पंजीकृत होना चाहिए, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता, सेवाएं, सहायक उपकरण आदि प्रदान करने वाले संगठन शामिल है।

iv. पिछले तीन वर्षों की विधिवत लेखा परीक्षित एवं समुचित रूप से अनुरक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट।

v. ऐसे संगठनों पर ही अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है, जिसका संबंधित क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो।

vi. संगठन को अपने प्रस्ताव नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए:

  क. निर्धारित आवेदन प्रपत्र (अनुबंध–I)
  ख. दूसरी/तीसरी किस्त का प्रपत्र (अनुबंध–II)
  ग. उचित रूप से भरी गई प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक प्रपत्र (अनुबंध–III)

3.2 अनुदान की मांग हेतु नियम और शर्तें :

i. गैर सरकारी संगठनों के मामले में, संगठनों को नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत कराना है और प्रस्ताव के साथ अपना विशिष्ट आईडी नंबर प्रस्तुत करना है।

ii. एक प्रमाणपत्र यह दर्शाते हुए कि यह संगठन इसी घटक के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करेगा।

iii. आयोजन (ईवेंट) से प्राप्त आय, यदि कोई हो, तो संगठन के लेखा परीक्षित लेखों में दर्शाई जाएगी।

iv. संगठन द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा।

v. संगठन द्वारा सभी लेन–देन इलैक्ट्रानिक मोड के माध्यम से किया जाएगा, उदाहरण के लिए यूपीआई, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, अकाउंट पेई चेक और संगठन के बैंक खाते की विवरणी में इसे दर्शाया जाना है। किसी भी बिल के प्रति सभी भुगतान तभी किए जाएंगे जब उस बिल में जीएसटी घटक होगा (अर्थात् केवल पक्के बिल पर) ।

vi. गैर सरकारी संगठनों की ऐसे किसी भी कार्यक्रम/आयोजन में स्थानीय मनोनित लोक

प्रतिनिधियों (माननीय सांसद, विधायक आदि) और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और विभाग को अपने कार्यक्रमों / आयोजनों के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ भेजनी चाहिए।

vii. इस योजना के तहत, गैर–सरकारी संगठनों को उसी कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक वर्ष में सहायता अनुदान जारी किया जाएगा।

viii. किसी भी संगठन के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब उसमें प्रस्तावित गतिविधियों, तिथियों, स्थान का विवरण, नाम और फोन नंबर सहित प्रतिभागियों का विवरण, मद–वार बजट की घटकें और इन कार्यक्रमों का परिणाम उपलब्ध कराया गया हो ।

ix. पात्र बनने के लिए, गैर सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनाए रखना चाहिए और उसमें प्रधान रूप से प्राप्त सहायता अनुदान, उसके उद्देश्य, आयोजित कार्यक्रमों तथा फोटोग्राफ और वीडियो के साथ प्रतिभागियों की सूची को दर्शाना होगा । एनजीओ को प्रत्येक प्रस्ताव के साथ एक स्व–घोषणा पत्र भी भेजना/प्रस्तुत करना होगा कि संगठन को किसी भी सक्षम एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

x. यह संगठन विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी/तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा निरीक्षण हेतु खुला होगा।

xi. सहायता अनुदान और बजट अनुमान के बीच के अंतर का वहन संगठन द्वारा किया जाएगा और संगठन को इस संबंध में एक लिखित पुष्टिकरण उपलब्ध कराना है । तथापि, यदि संगठन विभाग की जीआईए समिति द्वारा सिफारिश की गई प्रस्ताव हेतु बजट अनुमान और जीआईए के बीच के अंतर का वहन नहीं कर पाता है तो संगठन द्वारा जीआईए समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

xii. गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थानों को एक फीडबैक प्रपत्र (अनुबंध III के अनुसार) भी उपलब्ध कराना होगा ।

xiii. यदि यह पाया जाता है कि संगठन ने कोई गलत सूचना/दस्तावेज़ भेजी है अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सरकारी अनुदान का दुरुपयोग किया है/काफ़ी समय तक अनुदान को रोक रखा है, तो विभाग/मंत्रालय को इस संगठन को ब्लौकलिस्ट करने और जारी की गई अनुदान को 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि (काम्पाउण्ड) ब्याज के साथ वसूली करने का अधिकार है।

xiv. इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न मामलों पर कोई भी मुकदमा एनसीटी, दिल्ली के न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

xv. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के विवेक पर इन दिशानिर्देशों के प्रावधान को किसी भी समय बदला जा सकता है।

xvi. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने विवेक से, जब भी आवश्यक हो, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

4 कार्यक्रम प्रबंधन

एजीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के सभी प्रस्तावों की डिविजन स्तर पर जांच के बाद उपर्युक्त व्यापक मापदण्डों के भीतर दी जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रमात्रा और विषय–वस्तु के अनुमोदन के लिए उन्हें एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति का गठन इस प्रकार होगा –

क्र.सं.	अधिकारी	भूमिका
(i)	संयुक्त सचिव (जागरूकता सृजन और प्रचार)	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संसथान	सदस्य
(iii)	डीएवीपी के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत दिव्यांगजन / प्रतिनिधि समूहों/संगठनों में से एक विशेष आमंत्रित सदस्य	सदस्य
(v)	निदेशक/उप सचिव (जागरूकता सृजन एवं प्रचार)	सदस्य सचिव

समिति आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियों/मदों के बीच निधियों के पुनः समायोजन/अदला–बदली की सिफारिश भी कर सकती है। विभिन्न घटकों के अंतर्गत निधियों के उपयोग में अंतर परिवर्तन स्वीकार्य होगा ताकि किसी विशेष घटक के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और/अथवा विभिन्न कार्यकलापों को प्राथमिकता दी जा सके। प्रस्ताव की वैधता समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन की तारीख से छह माह होगी।

5. निधियों की स्वीकृति और जारी करना

योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए संगठनों द्वारा आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुबंध–। और ॥ जैसा भी मामला हो) में प्रस्तुत किया जाएगा।

सभी संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किए जाएंगे और सभी संवितरण आईएफडी की सहमति से किए जाएंगे।

(क) अल्पकालिक परियोजनाएं (एक बार के आयोजन या परियोजनाएं जो 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं है):

संवितरण निम्नानुसार दो किस्तों में किया जाएगाः

75% - अनुमोदन, स्वीकृति, आवश्यक बांड निष्पादित करने आदि पर, जहां भी आवश्यक हो।

25% - अंतिम रिपोर्ट और पहली किस्त के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, मदवार व्यय सहित लेखा परीक्षित लेखा विवरण।

(ख) दीर्घकालिक परियोजनाएं (6 महीने और अधिक अवधि की परियोजनाएं)

संवितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जा सकता है:

40% - अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने/बांड के निष्पादन आदि पर ।

40% - प्रगति समीक्षा, यूसी की पहली किस्त की प्राप्ति के बाद।

20% - अंतिम रिपोर्ट, पूरी राशि के लिए यूसी और मदवार व्यय के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्राप्त होने पर।

(ग) हेल्पलाइन नंबर की स्थापना जैसी दीर्घकालिक परियोजनाएं

विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्धारित संविदा/करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निधियां जारी की जाएंगी।

विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए लागत सीमा/लागत मानदंड *

क्र.स.	घटक	लागत सीमा
(i)	हेल्पलाइन	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें।
(ii)	सामग्री विकास, प्रकाशन और न्यू मीडिया	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या डीएवीपी दरों के अनुसार (यदि उपलब्ध हो), जो भी कम हो।
(iii)	कार्यक्रमों/आयोजनों	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या स्क्रीनिंग समिति द्वारा तय किए गए अनुसार।
(iv)	संवेदनशील बनाने हेतु स्वयंसेवी सेवा/आउट–रीच कार्यक्रम, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं के लिए	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या स्क्रीनिंग समिति द्वारा तय किए गए अनुसार।
(v)	प्रेस/मीडिया टूर और अन्य मीडिया विशिष्ट गतिविधियां	इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा या ट्रेन–एसी–2 टियर द्वारा आने–जाने का खर्च, बोर्डिंग और लॉजिंग खर्च, मीडिया किट आदि वास्तविक के अनुसार।
(vi)	सामुदायिक रेडियो/टीवी चैनल/यूट्यूब चैनल में भागीदारी	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या डीएवीपी दरों के अनुसार (यदि उपलब्ध हो) या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो भी लागू हो।

वास्तविक या प्रचलित बाजार दर के मामले में, संगठन को पूर्ण प्रामाणिकता के साथ प्रस्ताव भेजना है।

जब योजना के तहत कोई गतिविधि सीधे केंद्र/राज्य सरकार के तहत संस्थानों द्वारा की जाती है, जिसमें विभाग के अधीन वाले संगठन शामिल हैं, तब वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार निधि स्वीकृत और जारी की जाएगी।

7. योजना का मूल्यांकन

योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा हर दो वर्ष में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार आशोधन/संशोधन किया जाएगा।

एजीपी योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा और प्रतिभागियों से फीडबैक अनुबंध I, II, III, में दिया गया है।

8. प्रमुख पदाधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना।

8.1 पृष्ठभूमि: 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17 तक) के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सुपुर्द प्रक्रिया और तंत्र पर कार्य कर रही समूह ने यह पता लगाया कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच अपर्याप्त जागरूकता और संवेदनशील एक प्रमुख चुनौती है। इस रिर्पोर्ट में, अन्य बातों के साथ–साथ, की गई पहलों में से एक था दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य तथा विशेष रूप से उपरोक्त योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में प्रमुख पदाधिकारियों और अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण और संवेदनशील बनाना था। यह अवलोकन इस प्रकार है :

''राज्य/जिला/खंड स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर नियमित आधार पर "पीएचसी/सीएचसी और जिला सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों पुनर्वास पेशेवरों तथा केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और सुग्राही बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

8.1 (क) दिव्यांगजनों के अधिकारों और हकदारियों, विभिन्न योजनाओं में प्रावधान, विकासात्मक कार्यक्रमों, उनके विशिष्ट अधिकारों तक पहुंचने के तरीकों और साधनों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके वे समान नागरिक के रूप में हकदार हैं। सरकारों की योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख पदाधिकारियों के लिए जागरूकता आवश्यक है। इन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य प्रमुख सरकारी पदाधिकारियों के सुग्राही और जागरूकता के स्तर और क्षमता निर्माण को बढ़ाना है, विशेष रूप से उनके लिए जो योजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और सेवाओं के वितरण में शामिल हैं। इसे नियमित आधार पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

8.1 (ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 47(1) में अन्य बातों के साथ–साथ प्रमुख

पदाधिकारियों के लिए दिव्यांगता संबंधी अधिकारों पर प्रशिक्षण, सभी स्तरों पर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता को एक घटक के रूप में शामिल करने, क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने, खेल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने आदि का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 4, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, भी हस्ताक्षरकर्ता देशों को सभी दिव्यांगजनों के लिए भेदभाव के बिना और मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए राज्यों को दिव्यांगजनों के साथ कार्य करने वाले पेशेवरों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन अधिकारों के साथ गारंटीकृत बेहतर सहायता और सेवाएं प्रदान की जा सकें।

8.2 उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है। इससे कार्य स्थल पर एक समावेशी वातावरण बनाने और समान अवसर, समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और दिव्यांगजनों में विश्वास बहाली सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी । तदनुसार, इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त, कुशल और प्रतिबद्ध प्रमुख पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना।

ख. दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता संबंधी कानून, विकास कार्यक्रमों, योजनाओं और कार्यक्रमों; विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच पुनर्वास और रेफरल सेवाओं के बारे में जागरूकता सृजन करना;

ग. दिव्यांगजनों की रोकथाम, शीघ्र पहचान, उपचार, पुनर्वास और मुख्यधारा में लाने के प्रति जागरूकता पैदा करना और संवेदनशील बनाना।

8.3 योजना का दायरा

i. इस योजना में दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े कतिपय केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों (एक वर्ष के लिए लगभग 5000-6000) को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

ii. आधे दिन, एक या दो दिन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। लंबी अवधि पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

iii. प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक संस्थानों/ डीईपीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय संस्थानों / आरसीआई के अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों / विश्वविद्यालय के विभागों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

iv. विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल/पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

v. प्रशिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण के उद्देश्य से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा स्वीकार्य गतिविधियों के लिए सामान्य दिशानिर्देश और व्यय के मानदंड तैयार किए जाएंगे।

vi. प्रशिक्षण कार्यक्रम भौतिक या वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है, जो भी उस समय वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार लागू हो। हालांकि, वर्चुअल प्रशिक्षण के लिए प्रति सत्र लागत मानदेय दर की सीमा (यूजीसी) होगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदेय दर से अधिक लागत स्वीकार्य नहीं होगी।

8.4 नोडल एजेंसी

भारतीय पुनर्वास परिषद प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होगी। भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल, पाठ्यक्रम के अनुसार दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आरसीआई को निधियां जारी की जाएंगी। समूहों में सूचीबद्ध प्रमुख पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:

लक्ष्य समूह -I के वरिष्ठ पदाधिकारी

सांसद/विधायक/न्यायपालिका/प्रशासनिक सेवा के अधिकारी /
संबद्ध सेवा अधिकारी/कुलपति/राजस्व विभाग – केंद्र और राज्य सरकारें/
पुलिस अधिकारी

लक्ष्य समूह - II पदाधिकारी - शिक्षा

सरकारी कॉलेजों और स्कूलों के प्रिंसिपल / उप प्राचार्य,
उच्च शिक्षा संकाय, शिक्षा अधिकारी, डीआईईटी प्रिंसिपल /संकाय

लक्ष्य समूह - III पदाधिकारी – स्वास्थ्य और संबद्ध स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर, प्रशासक (सीएमओ, उप सीएमओ, एमओ)

लक्ष्य समूह - IV **पदाधिकारी – मध्य स्तर के प्रशासक**

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी,

खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी,

नगर योजनाकार और रोजगार अधिकारी

लक्ष्य समूह - V पदाधिकारी – स्कूल शिक्षा

शिक्षक, हेड मास्टर, (प्राथमिक और माध्यमिक स्तर), एसएमसी

लक्ष्य समूह - VI **पदाधिकारी- जमीनी स्तर के कार्यकर्ता**

एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सीबीआर कार्यकर्ता,

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

लक्ष्य समूह - VII - इंजीनियरिंग

(मॉड्यूल अभी तैयार किया जाना है)

8.5 प्रशिक्षण संस्थान/कार्यान्वयन एजेंसी

क. केंद्र और राज्य सरकार के स्टाफ प्रशासनिक कॉलेज/ प्रशिक्षण संस्थान
ख. भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थान।
ग. आरसीआई अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग ।
घ. प्रशिक्षण विभाग/समूह क और ख अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियां।

8.6 प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक/जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कार्यशालाओं (एक से दो दिन की अवधि) में कार्यक्रमों के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आयोजन स्थल की लागत, बोर्डिंग, लॉजिंग, संसाधन व्यक्ति का शुल्क आदि शामिल होंगे।

8.7 प्रशिक्षण मॉड्यूल

विशेषज्ञ समूहों की मदद से आरसीआई द्वारा विकसित शिक्षार्थियों की आवश्यकता के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण सामग्री www.rehabcouncil.nic.in आरसीआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आरसीआई द्वारा विकसित विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए ई–प्रशिक्षण मॉड्यूल विभाग (www.disabilityaffairs.gov.in) और आरसीआई (www.rehabcouncil.nic.in) की

वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

सामग्री को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा डाउनलोड किया जाना है और कार्यक्रम की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार प्रतिभागियों को प्रतियां वितरित की जानी हैं।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है:

i. प्रत्येक विषय पर जागरूकता और संवेदीकरण पर विस्तृत सामग्री और पोस्टर
ii. दिव्यांगताओं की रोकथाम, उसकी शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप, दिव्यांगजनों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के संबंध में दिव्यांगता–वार सहायता (हैंडआउट)
iii. ऑडियो–विजुअल सामग्री और संबंधित सामग्री के लिंक यू–ट्यूब आदि पर उपलब्ध हैं।
iv. क्षमता निर्माण के लिए सामग्री।

उपर्युक्त सामग्री निर्देशात्मक हैं जिन्हें स्थानीय संसाधन सामग्री से समृद्ध किया जा सकता है, और लक्ष्य समूह की आवश्यकता के अनुसार इन्हें पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना है। जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री भी तैयार की जाए और वितरित की जाए।

8.8 संसाधन व्यक्ति

i. दिव्यांगता क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति और विशेषज्ञ एवं रोल–मॉडल
ii. मेडिकल/पैरा–मेडिकल प्रोफेशनल
iii. चिकित्सा पेशावर
iv. दिव्यांगजन सशक्तिकरण के राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक/अन्य विशेषज्ञ
v. आरसीआई के साथ पंजीकृत वरिष्ठ पुनर्वास पेशेवर
vi. दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों से संबंधित कार्य करने वाले सरकारी विभागों के अधिकारी।
vii. विधि पेशेवर

8.9 सहायता की पैटर्न और प्रमात्रा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि।

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के प्रावधान के अनुसार, आधे दिन (एक दिन और दो दिन की अवधि) के प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद, जो इस योजना के लिए एक नोडल एजेंसी है, के माध्यम से वहन की जाएगी। इस योजना में यथा परिकल्पित विभिन्न लक्षित समूहों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम के लिए अलग–अलग बजट मद और व्यय की ऊपरी सीमा इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आबंटित (4,800/- रुपये) की प्रति इकाई लागत के

आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए आरसीआई के लिए प्रति यूनिट लागत का 5% शामिल किया गया है।

8.10 अनुदान प्राप्त करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के तहत निबंधन और शर्तें:

i. प्रतिभागियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या (30 से 40)। (30) से कम प्रतिभागियों के लिए कोई व्यय प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, जैसा कि कार्यक्रम शुरू करने के लिए लक्षित समूह की संबंधित श्रेणियों में अनिवार्य दर्शाया गया है।

ii. बजट को निर्धारित किए गए अनुसार शीर्षों के अंतर्गत व्यय किया जाना । प्रतिपूर्ति के लिए बजट से अधिक व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी परिस्थिति में, परिषद की पूर्व अनुमति के बिना बजट के भीतर या उससे अधिक पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं है।

9. **सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधियां** :

पहली किस्त में, प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित बजट का 80% कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाएगा और शेष 20% बजट जीएफआर के प्रावधान और कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित उपयोग प्रमाण पत्र, आय व्यय विवरण प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।

10. अनुमोदन तंत्र (दोनों घटकों के लिए सामान्य):

प्रभाग स्तर पर संवीक्षा के बाद योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए सभी प्रस्तावों को सामग्री और वित्तीय सहायता की मात्रा के अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसे उपर्युक्त व्यापक मापदंडों के भीतर दिया जाना है।

समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

क्र.सं.	**अधिकारी**	**भूमिका**
(i)	उप महानिदेशक/संयुक्त सचिव (जागरूकता सृजन एवं प्रचार)	अध्यक्ष
(ii)	दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य कर रहे पीडब्ल्यूडी/प्रतिनिधि समूहों/संगठनों में से एक विशेष आमंत्रित अतिथि । अथवा दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के मॉड्यूल के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में से दो सदस्य/विशेषज्ञ।	सदस्य

(iii)	सदस्य सचिव (आर.सी.आइ)	सदस्य
(iv)	निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संसथान	सदस्य
(v)	निदेशक/ उप सचिव (जागरूकता सृजन और प्रचार)	सदस्य सचिव

समिति आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के बीच निधियों के पुनर्समायोजन/आदान–प्रदान की सिफारिश भी कर सकती है। विभिन्न घटकों के अंतर्गत निधियों के उपयोग में अंतर–परिवर्तन स्वीकार्य होगा ताकि किसी विशेष घटक के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और/अथवा विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा सके । किसी प्रस्ताव की वैधता समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन की तारीख से छह महीने की होगी ।

11. योजना का मूल्यांकन

योजना में की गई प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा वर्तमान निदेशों के अनुसार की जाएगी।

****

सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र और प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करने का प्रपत्र अनुबंध IV, V में दिया गया है

अनुबंध-I

जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन

से:……   दिनांक :………

सेवा में
संयुक्त सचिव,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
5 वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110 003

विषय: जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत सहायता ।

मैं, ………. वित्त वर्ष के लिए --------------------- के आयोजन हेतु जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत ……… रुपये के अनुदान के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन एतद्द्वारा प्रस्तुत करता/करती हूं। मैं प्रमाणित करती हूं कि मैंने योजना के नियमों और विनियमों को पढ़ा है और मैं प्रबंधन की ओर से उनका पालन करने का वचन देता हूं। मैं आगे निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हूं :-

i. इस प्रकार दिए गए अनुदान का खाता उचित रूप से और अलग से रखा जाएगा। खाते हमेशा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे। वे अपने विवेक पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण जांच के लिए भी खुले रहेंगें।
ii. यदि राज्य या केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो भारत सरकार आगे की किस्तों के भुगतान को रोक सकती है और पहले के अनुदानों को इस तरह से वसूल सकती है जैसा कि वे तय कर सकते हैं।
iii. संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन में उचित मितव्ययिता का प्रयोग करेगी।
iv. जीआईए और बजट अनुमान के बीच के अंतर को संगठन द्वारा वहन किया जाना चाहिए और संगठन को इस संबंध में एक लिखित पुष्टि प्रदान करनी होगी। तथापि, यदि संगठन प्रस्ताव के लिए बजट अनुमान और विभाग की जीआईए समिति द्वारा संस्तुत जीआईए के

बीच अंतर को वहन करने में असमर्थ है, तो संगठन द्वारा जीआईए समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना है।

v. संगठन पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र है।

vi. संगठन नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत है और प्रस्ताव के साथ अपना विशिष्ट आईडी नंबर प्रस्तुत करता है।

vii. संगठन मदवार व्यय के साथ लेखा का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।

viii. प्रस्ताव के साथ पिछले तीन वित्त वर्षों के लेखापरीक्षित लेखा, वार्षिक रिपोर्ट संलग्न हैं।

ix. संगठन को उसी घटक के लिए अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न है।

x. आयोजन से प्राप्त आय, यदि कोई हो तो, लेखापरीक्षित खातों में परिलक्षित होगी।

xi. इस विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाएगा।

xii. सभी लेनदेन संगठन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे यूपीआई, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, अकाउंट पेई चेक के माध्यम से किए जाएंगे और संगठन के बैंक खाते के विवरण में परिलक्षित होना चाहिए। किसी भी बिल के प्रति सभी भुगतान केवल तभी किए जाएंगे जब बिल में जीएसटी घटक (यानी केवल पक्का बिल) शामिल हो।

xiii. संस्थान कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बैनर के तहत निर्धारित तरीके से और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद और विधायक को व्यापक प्रचार और जानकारी देने के बाद करेगी।

नोटः संगठन और दस्तावेजों (संलग्न) का विवरण नीचे दिया गया हैः

योजना का नामः...

1. संगठन

नामः...

ईमेल/फोन/फैक्स (कार्यालय).......................

पता (कार्यालय):..
......

2. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i.	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकरण की सत्यापित प्रति	(हां/नहीं)
ii.	दिव्यांगजन अधिनियम, 1995/2016 के तहत पंजीकरण की सत्यापित प्रति	(हां/नहीं)
iii.	विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत पंजीकरण	(हां/नहीं)

iv. संस्था के बहिर्नियम और उप–नियम (हां/नहीं)

v. पिछले तीन वित्त वर्षों की विधिवत रूप से लेखा परीक्षित लेखा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति। (हां/नहीं)

vi. नीति आयोग के साथ पंजीकृत विशिष्ट आईडी की प्रति (हां/नहीं)

vii. परियोजना प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण (हां / नहीं)

viii. ब्रेकअप के साथ बजट अनुमान (हां / नहीं)

ix. कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों/लाभार्थियों की संख्या (हां/नहीं)

x. बिल/वाउचर और समर्थित दस्तावेज जमा करते समय कार्यक्रम/आयोजन आदि में भाग लेने वाले प्रतिभागियों/लाभार्थियों के नाम के साथ–साथ उनके मोबाइल नंबर सहित एक सूची । (हां / नहीं)

xi. प्रस्ताव की अवधि, आयोजन की तारीख और स्थान, परियोजना तथा स्थान और आयोजन / कार्यक्रम के परिणाम (हां / नहीं)

xii. क्या इस संगठन ने इस विभाग से पूर्व में कोई अनुदान लिया है? यदि हां, तो विवरण दें। (हां / नहीं)

xiii. संगठन को उसी घटक के लिए अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न है। (हां /नहीं)

xiv. सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन। (हां / नहीं)

3. उस परियोजना का विवरण दें जिसके लिए सहायता अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है।

4. अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान का ब्यौरा-

राज्य सरकार ………………… केंद्र सरकार …......................................

अन्य स्रोत ……………………………………

5. मैंने योजना पढ़ी है और योजना की आवश्यकता और शर्तों को पूरा करता/करती हूं। मैं इस योजना की सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूं। मैं यह भी वचन देता/देती हूं किः

क. इन निधियों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
ख. इस योजना के तहत मंत्रालय से प्राप्त निधियों के लिए एक अलग खाता रखा जाएगा।

हस्ताक्षर………………………...

नाम…………………………….

पता………………….…………..

दिनांक………..…………………

(मुहर)…………………………

नोट: जहां भी लागू न हो, कृपया लिखें: लागू नहीं

अनुबंध-II

सेवा में

संयुक्त सचिव,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

दूसरी/तीसरी किस्त के लिए आवेदन पत्र

1. योजना का नाम: :
2. संगठन :
3. नाम :
4. पता (कार्यालय) :

(परियोजना)

5. दूरभाष (कार्यालय) :

(परियोजना)

6. ईमेल (कार्यालय)

(परियोजना) :

7. सहायता अनुदान (रुपये में) कुल:
   - क. वर्तमान वर्ष में आवेदन किया :
   - ख. पहली किस्त के रूप में प्राप्त :
   - ग. दूसरी किस्त या तीसरी किस्त के लिए आवेदन किया :
   - घ. आवेदक संगठन को पहली / दूसरी किस्त के उपयोग प्रमाण पत्र को संलग्न करना चाहिए।

ङ. खाते के लेखा परीक्षित विवरण के साथ–साथ मदवार व्यय । आयोजन से आय, यदि कोई हो, लेखापरीक्षित खातों में परिलक्षित की जानी चाहिए।

च. संगठन द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली या मांगी गई कोई अन्य जानकारी।

हस्ताक्षर..............................

नाम..................................

पता..............................**दिनांक**..........................**(मुहर)**..............................

अनुबंध-III

<u>कार्यक्रम की प्रतिक्रिया (फीडबैक)/मूल्यांकन प्रपत्र</u>

<u>(प्रतिभागियों द्वारा भरा जाना है)</u>

एजीपी योजना के तहत अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) देने के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रपत्र को पूरा करें। यह प्रतिक्रिया (फीडबैक) हमें प्रशिक्षण प्रतिभागी की संतुष्टि के स्तर को मापने में मदद करती है।

संगठन का नाम:

1. कृपया प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नलिखित पहलुओं को रेट करें:				
	अति उत्कृष्ट	अच्छा	औसत	खराब
(i) संगठन				
(ii) सामग्री				
(iii) आयोजन/कार्यक्रम से संबंधित सामग्री				
(iv) प्रस्तुति				
(v) संसाधन व्यक्ति				
(vi) स्थल तक सुगम्यता				
(vii) समयबद्धता और अवधि				
(viii) भोजन और पानी की सुविधा				
(ix) आवास (यदि कोई हो)				

2. क्या इस कार्यक्रम ने आपको दिव्यांगजनों की जागरूकता/सशक्तिकरण आदि के प्रति संवेदनशील बनाया है?:		
हाँ	हो सकता है	निश्चित नहीं
3. क्या आप भविष्य में हमारे संगठन से इस तरह के एक और कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे?:		
हाँ	हो सकता है	निश्चित नहीं

4. कोई सुझाव: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

5. आप समग्र रूप से प्रशिक्षण / कार्यशाला/कार्यक्रम/आयोजन को कैसे रेट करते हैं:			
उत्कृष्ट	अच्छा	औसत	खराब

6. हस्ताक्षर सहित प्रतिभागी का नाम, पता और संपर्क नंबर:

<u>अनुबंध-IV</u>

प्रपत्र

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अनुसार "केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण" के लिए प्रस्ताव (ईमेल के माध्यम से) प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

1.	संस्थान / विश्वविद्यालय विभाग / संगठन का नाम	
2.	संस्थान का पूरा पता क. दूरभाष संख्या /मोबाइल ख. फ़ैक्स नं ग. ईमेल घ. वेबसाइट	
3(क)	आरसीआई अनुमोदन की स्थिति (जहां भी लागू हो)	
(ख)	अनुमोदित पाठ्यक्रमों का नाम और अनुमोदन की वैधता (जहां भी लागू हो)	
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि और स्थान के साथ प्रस्तावित तिथि	
5.	प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यप्रणाली	
6.	लक्ष्य समूह	
7.	प्रतिभागियों की संख्या	
8.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहचाने गए संसाधन व्यक्तियों (स्थानीय और बाहरी) का विवरण, उनके नाम, संपर्क पते / दूरभाष नंबर, सीआरआर संख्या के साथ पुनर्वास योग्यता आदि के साथ ।	
9.	दिव्यांगता क्षेत्र के लिए प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान के उपयोग के लिए दिए गए सुझाव	
10.	कुल अनुमानित व्यय का परिशिष्ट 'क' पर विवरण (आरसीआई प्रशिक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार मानदंड देखें)	

11.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग/संगठन के पास उपलब्ध सुविधाएं एवं उपकरण	
12.	आरसीआई, भारत सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय आदि से साझेदारी और वित्तीय सहायता में पहले आयोजित कोई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
13.	यदि हां, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।	
	1. वित्त वर्ष	
	2. सहायता अनुदान प्राप्त किया	
	3. लक्ष्य समूह	
	4. स्वीकृत बैचों की संख्या	
	5. आयोजित बैचों की संख्या	
	6. प्रस्तुत रिपोर्ट और यूसी (हां/नहीं)	
14.	बाहर स्थित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध आवास का प्रावधान	
15.	बैंक खाते का विवरण 1. खाताधारक का नाम: 2. बैंक का नाम: 3. खाता संख्या: 4. शाखा: 5. आईएफएससी कोड: 6. खाते का प्रकार: 7. मूल कैंसिल चेक	
16.	नीति आयोग के दर्पण की प्रति और उसका नंबर (गैर-सरकारी संगठनों के मामले में)	
17.	प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य जानकारी:	

संलग्न : परिशिष्ट 'क' पर अनुमानित व्यय

मुहर सहित संस्थान के प्रमुख का नाम और

हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

कृपया उपरोक्त प्रपत्र पर निम्नलिखित को आवेदन करें:

सदस्य सचिव,

भारतीय पुनर्वास परिषद

बी–22, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

नोट: - संस्थान को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षण मॉड्यूल में 01 से अधिक कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निधियों की उपलब्धता हो और परिषद द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो।

संलग्नकों की सूची:

i. आरसीआई अनुमोदन प्रमाण पत्र की प्रति, यदि लागू हो
ii. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की प्रति
iii. लेखा का नवीनतम लेखापरीक्षित विवरण
iv. वार्षिक रिपोर्ट की प्रति

18. उपक्रम

(100/- रुपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

हम…………………………एतदद्वारा निम्नलिखित कार्य करते हैं:

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट के साथ–साथ किए गए कुल व्यय का प्रमाणित लेखा विवरण और आरसीआई से प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र को प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के एक महीने के भीतर परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यह कि निर्धारित तिथि के अनुसार कार्यक्रम का संचालन नहीं करने और प्रतिभागियों की आवश्यक संख्या की कमी के मामले में परिषद से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त पूरी राशि, ऐसी तारीख के एक महीने के संस्थान परिषद को वापस कर दी जाएगी।
3. संस्थान/संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली और आरसीआई द्वारा वित्त पोषित सुविधाएं प्रतिभागियों को निः शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी यानी प्रतिभागियों से कोई योगदान या शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. उस निधि को विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा जिसके लिए उसे जारी किया गया है।
5. यह कि निर्दिष्ट बजट शीर्षों के तहत व्यय, और खर्च की गई वास्तविक राशि का प्रभार

लेगा, जो किसी भी शीर्ष के तहत अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

6. आय–व्यय विवरणी के विवरण के साथ उपयोग प्रमाण पत्र को रिपोर्ट के साथ परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किए गए प्रासंगिक बिलों / वाउचर और अन्य खर्चों को संस्थानों में रखा जाएगा और लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए आवश्यक होने पर परिषद को प्रदान किया जाएगा।
7. यह कि आरसीआई की सभी प्रक्रियाओं/दिशा–निर्देशों का संस्थान द्वारा समय–समय पर सुझाए गए या संशोधित रूप में कड़ाई से पालन किया जाएगा।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:

पदनाम :

मुहर

संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है

19. ……….…स्तर की……….…दिनों के प्रशिक्षण / संवेदीकरण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित बजट

अवधि	:	
प्रतिभागियों की संख्या	:	
प्रतिभागियों का विवरण	:	

क्र.सं.	व्यय के लिए शीर्ष	आवश्यक राशि
1	कार्यक्रम सह–समन्वयक को मानदेय * (* सरकारी संस्थानों के लिए लागू नहीं)	
2	संसाधन व्यक्तियों को मानदेय (न्यूनतम 4 व्याख्यान / दिन)	
3	अधिकतम 20 प्रतिभागियों + 05 अतिरिक्त (संसाधन व्यक्ति, सह–समन्वयक प्रति दिन) के लिए दोपहर का भोजन / चाय / कॉफी	
4	डीईपीडब्ल्यूडी और आरसीआइ के लोगो के साथ प्रोग्राम किट (सामग्री, हैंडआउट, पोस्टर, पेन, पैड) बैग	
5	फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी	
6	रिपोर्ट तैयार करना 5000/- रुपये की दर से	
7	बाहर स्थित उम्मीदवारों के लिए संसाधन व्यक्तियों के लिए आवास	
8	प्रशिक्षुओं के लिए आवास (स्थानीय और पड़ोसी जिले से न्यूनतम 50% उम्मीदवार)	
9	प्रतिभागियों की यात्रा लागत (वास्तविक यात्रा व्यय, बाहर स्थित उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 1000 रुपये प्रति उम्मीदवार की सीमा के अधीन)	
	कुल	
10	प्रशासनिक व्यय कुल बजट के 10% के दर से	
	कुल योग	

20. प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और तथ्यों को दबाने, गलत बयान या गलत जानकारी देने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा ऐसी अन्य कार्रवाई की जाएगी जो उचित समझी जा सकती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान / संगठन किसी भी प्रकार के मुकदमे में शामिल नहीं है जो इसे बाहरी सहायता प्राप्त करने से रोकता है। यह वचन दिया जाता है कि संस्थान/संगठन योजना के दिशा–निर्देशों में निर्धारित किए गए शर्तों का पालन करेगा। हम आगे यह समझते हैं कि पात्रता और सहायता की मात्रा के संबंध में आरसीआई का निर्णय अंतिम होगा।

संस्थान/संगठन के प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

नाम और पदनाम

अनुबंध-V

कार्यक्रम की प्रतिक्रिया (फीडबैक) / मूल्यांकन प्रपत्र

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) देने के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रपत्र को पूरा करें। यह प्रतिक्रिया (फीडबैक) हमें प्रशिक्षण प्रतिभागी की संतुष्टि के स्तर को मापने में मदद करती है।

संगठन का नाम:____

1. लक्ष्य समूह का उल्लेख करें: ______________________________________

2. कृपया प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नलिखित पहलुओं को रेट करें:

	उत्कृष्ट	अच्छा	औसत	खराब
(i) संगठन				
(ii) सामग्री				
(iii) अध्ययन सामग्री				
(iv) प्रस्तुति				
(v) संसाधन व्यक्ति				
(vi) स्थल तक सुगम्यता				
(vii) समयबद्धता और अवधि				
(viii) भोजन और पानी की सुविधा				
(ix) आवास				

3. क्या इस कार्यक्रम ने आपको दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील बनाया है?:

हाँ	हो सकता है	निश्चित नहीं

4. एजेंसी द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण किट के साथ प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की गई :
हां/नहीं

5. क्या आप भविष्य में हमारे संगठन से इस तरह के एक और कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे?:

हाँ	हो सकता है	निश्चित नहीं

6. कोई सुझाव: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. आप समग्र रूप से प्रशिक्षण को कैसे रेट करते हैं:			
उत्कृष्ट	अच्छा	औसत	खराब

हस्ताक्षर के साथ प्रतिभागियों का नाम, पता और संपर्क नंबर:

………
……………………………………………

………
……………………………………………

………
……………………………………………

………
……………………………………………